

**NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD**

1<sup>st</sup> Floor, Core 4B, India Habitat Centre,  
Lodhi Road, New Delhi-110003

No. Y-11017/17/2021 (9101705)

Dated: 13.01.2026

**OFFICE MEMORANDUM**

Attention is invited to Rule 18 (i) and (ii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964, & O.M. No. A-29011/1/2015-Admn.IV dt. 29.12.2015 of Under Secretary M/o HUA which are also applicable to the officers/officials of the NCR Planning Board, regarding submission of Annual Property Return. Accordingly, all Officers/Officials of the Board belonging to Group 'A', 'B', 'C' are requested to submit their Annual Property Return for the year ending 31<sup>st</sup> December, 2025 (1.1.2025 to 31.12.2025) in the enclosed proforma by 20.01.2026 positively, in e-receipt format to Administration.

Attention is also invited to the instructions given on the proforma for information and necessary action while filling up the Property Return.

  
(Anubhav Choudhary) 13/01/26.  
Director (Admin & Finance)

To  
All Officers/Officials of the NCRPB

Encl.: As above.

Copy to:

PS to MS – for information please.

*Need fuel done please*

  
30/1/2026

ADLE  
Smt Deepmala, H.T.

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड**

प्रथम तल, कोर 4-बी, इंडिया हैबिटेट सेंटर,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सं. Y-11017/17/2021 (9101705)

दिनांक: 13.01.2026

**कार्यालय ज्ञापन**

अवर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 29.12.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या A-29011/1/2015-प्रशासन IV तथा सीसीएस (CCS) (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 (i) और (ii) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं।

तदनुसार, बोर्ड के समूह 'ए', 'बी', 'सी' से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे 31 दिसंबर, 2025 (1.1.2025 से 31.12.2025) को समाप्त वर्ष के लिए अपना वार्षिक संपत्ति रिटर्न संलग्न प्रोफार्मा में ई-रिसीट बनाकर प्रशासन विभाग में दिनांक **20.01.2026** तक अवश्य जमा करें।

संपत्ति रिटर्न भरते समय सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रोफार्मा पर दिए गए निर्देशों पर भी ध्यान दिया जाए।

**अनुभव चौधरी**  
(अनुभव चौधरी) 13/01/26

निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

सेवा में,

बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारी / कर्मचारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

- सदस्य सचिव के निजी सचिव - सूचनार्थ।

